



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 6339 / NR-4/6/03/10

भोपाल, दिनांक 26 / 06 / 10

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
जिला:-समस्त(म.प्र.)

विषय:- महात्मा गांधी रोजगार गारंटी परिषद् के अंतर्गत 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की जानकारी विषयक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासनिक व्यय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु परिषद् मुख्यालय से निर्देश तथा 4 प्रतिशत की मासिक जानकारी प्रेषित किये जाने हेतु प्रपत्र क्र.10 के सेक्शन 1 एवं 2 भेजे गये है। किन्तु कतिपय जिलों द्वारा उक्त आदेशों का पूर्णतः पालन न किया जाकर अपूर्ण जानकारी प्रेषित की जाती है। यह भी देखा गया है कि जिलों द्वारा मासिक जानकारी काफी विलंब से तथा पुराने प्रपत्र में ही प्रेषित की जा रही है।

अतः जानकारी प्रेषित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए जानकारी प्रेषित करें:-

1. राशि रु. लाख में उल्लेखित की जानी।
2. प्रपत्र क्र.10 के सेक्शन-1 में **Exp.till last month** कॉलम क्र.4 में विगत माहों की समेकित जानकारी उल्लेखित की जाएगी। जबकि **Total Exp.** कॉलम क्र.6 में वर्तमान माह तथा विगत माहों (कॉलम क्र.4 + 5) का कुल योग अंकित किया जाएगा।
3. प्रत्येक मद(A,B,C) का कुल योग अंकित किया जाएगा।
4. अंत में महायोग किया जाकर हस्ताक्षरित प्रति प्रेषित की जाए।
5. प्रपत्र क्र.10 के सेक्शन-2 में प्रारम्भिक शेष,प्राप्त केन्द्रांश, राज्यांश आदि की पूर्ण जानकारी दें।


24/6/10

(डॉ. राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त-लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्